सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 82/2016

1. संतासिंह पुत्र लखा सिंह जाति रायसिख निवासी 27 एन0पी0 बी0 ठण्डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील रायसिंहनर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.राजकीय अधिवक्ता

आदेश **दिनांक :–11.01.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पास चक ठण्डी (27 एन.पी.बी.) के मुरब्बा नम्बर 39–43 है। मुरब्बा नम्बर 39 में 3.795 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 43 में 6.325 हैक्टेयर रकबा सहकारी समिति का सहाय होने के नाते उपरोक्त जमीन का कब्जा बहुत पुराना चला आ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा कमांक 12(1)26 राजस्व 75 दिनांक 15.12.2007 को निर्देश दिये, राजस्थान उपनिवेशन गंगनहर भूमि स्थाई आवंटन एवं विक्रय नियम 1955 के नियम 9 उपनियम 8 के अनुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे जिस पर अपीलांट द्वारा उपजिलाधीश रायसिंहनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2008 को खारिज कर दिया जिस के खिलाफ अपीलांट ने राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की जो मंजूर होकर मामला उपजिलाधीश रायसिंहनगर को रिमाण्ड किया गया जो अब भी विचाराधीन है। अब बिना आधार पर अपीलांट को बेदखल करने का नोटिस दिया जिसका जबाब अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया, मगर अधीनस्थ न्यायालय बिना किसी आधार पर अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया। अपीलांट सहकारी सोसायटी का सदस्य था तथा सदस्य होने के कारण अपीलांट के पास चक 27 एनपी (बी) के मुरब्बा नम्बर 43–49 में रकबा दिया गया जिसका कब्जा अपीलांट के पास चला आ रहा है तथा अब भी मौका पर अपीलांट का ही कब्जा है। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया। विवादग्रस्त रकबा सोसायटी का होने से इस पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते इसलिए धारा 22 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन पर गौर न कर कानूनी भूल की है। उपरोक्त भूमि पर उपजिलाधीश रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 28.05.2008 आदेश में भी उल्लेख किया कि उपरोक्त भूमि पर तवान कार्यवाही नहीं की गई है। यह तथ्य भी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अधीनरथ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे, परन्तु अधीनरथ न्यायालय द्वारा इस पर गौर न कर कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत दिनांक 09.11.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के पास चक ठण्डी (27 एन.पी.बी.) के मुरब्बा नम्बर 39-43 है। मुरब्बा नम्बर 39 में 3.795 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 43 में 6.325 हैक्टेयर रकबा सहकारी समिति का सहाय होने के नाते उपरोक्त जमीन का कब्जा बहुत पुराना चला आ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा कमांक 12(1)26 राजस्व 75 दिनांक 15.12.2007 को निर्देश दिये, राजस्थान उपनिवेशन गंगनहर भूमि स्थाई आवंटन एवं विक्रय नियम 1955 के नियम 9 उपनियम 8 के अनुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे जिस पर अपीलांट द्वारा उपजिलाधीश रायसिंहनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2008 को खारिज कर दिया जिस के खिलाफ अपीलांट ने राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की जो मंजूर होकर मामला उपजिलाधीश रायसिंहनगर को रिमाण्ड किया गया जो अब भी विचाराधीन है। अब बिना आधार पर अपीलांट को बेदखल करने का नोटिस दिया जिसका जबाब अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया, मगर अधीनरथ न्यायालय बिना किसी आधार पर अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया। अपीलांट सहकारी सोसायटी का सदस्य था तथा सदस्य होने के कारण अपीलांट के पास चक 27 एनपी (बी) के मुरब्बा नम्बर 43-49 में रकबा दिया गया जिसका कब्जा अपीलांट के पास चला आ रहा है तथा अब भी मौका पर अपीलांट का ही कब्जा है। अधीनरथ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया। विवादग्रस्त रकबा सोसायटी का होने से इस पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते इसलिए धारा 22 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह तथ्य अधीनरथ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे, परन्तु अधीनरथ न्यायालय द्वारा इन पर गौर न कर कानूनी भूल की है एवं अपीलार्थी को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत दिनांक 09.11.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट किसी भी सहकारी समिति का स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए उक्त भूमि आवंटन का पात्र नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को प्रा0 पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (सहकारी संस्थाओं को भूमि आवंटन) नियम 1969 व गंगकैनाल भूमि आवंटन नियम 1956 (अब तक संशोधित) के तहत प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 28.05.2008 से प्रार्थना पत्र प्रार्थी का कब्जा सोसायटी खारिज होने की दिनांक 27.08.2007 के पश्चात से है इससे पूर्व सोसायटी का कब्जा होने के कारण खारिज कर रकबा राज दर्ज करने के आदेश पारित किये गये, जिसे राजस्व अपील अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 01.09.2008 से प्रकरण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एवं राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना को ध्यान में रखकर निर्णय देने हेतु प्रकरण अधीनरथ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के यहां विचाराधीन है। उक्त भूमि सात सोसायटियों को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय ,श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक / दिनांक 20.03.1959 द्वारा एक वर्षीय टी.सी. पर काश्त के लिये दिया गया था, जो कि कृषि सहकारी समितियों को भूमि आवंटन नियम 1959 के प्रावधानों के तहत 25 वर्षीय लीज पर कभी भी आवंटन नहीं किया गया। वर्ष 1977 से राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर क्षैत्र में राजकीय भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम 1956 के तहत पात्र मानकर सोसायटी के सदस्यों एवं भूमिहीनों को आरक्षित मूल्य पर भूमि का समय-समय पर आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रायसिंहनगर द्वारा पुख्ता आवंटन किया गया है। अपीलार्थी का यह कथन कि उसे बिना सुने ही उसके विरूद्व तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा धारा 22 की कार्यवाही की गई वो न्यायसंगत नहीं है। अतः अपीलार्थी को सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह बाद आवश्यक एवं सम्यक जांच अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई करते हुए उसे अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/01/2018

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner